परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश

1. परीक्षा में प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थी अपनी पात्रता की जांच नियमानुसार कर लें। परीक्षार्थी को परीक्षा में औपबन्धिक (Provisional) रूप से प्रवेश दिया गया है। परीक्षार्थी केवल इस तथ्य से कि उसे परीक्षा में बैठने के लिये प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है, यह अर्थ न लगाएँ कि आयोग द्वारा उसे परीक्षा हेतु नियमानुसार पात्र मान लिया गया है। आयोग द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जांच करते समय यदि यह ज्ञात होता है कि परीक्षार्थी नियमानुसार परीक्षा हेतु पात्र नहीं है तो उसकी अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।
2. परीक्षार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह परीक्षा आरंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंच कर तुरन्त अपनी सीट पर बैठ जायें। परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय के पश्चात् आने वाले परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे। केन्द्राधीक्षक विशेष परिस्थितियों में नियत समय से 15 मिनट विलंब तक आने वाले परीक्षार्थी को स्वविवेक से प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं, किन्तु 15 मिनट उपरांत किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
3. परीक्षार्थी परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण करने के साथ ही अपनी जेब, डेस्क, आस–पास के स्थानों को भलीभांति देख लें कि वहां कोई पुस्तक, पर्चा अथवा अन्य किसी प्रकार की अवांछित सामग्री तो नहीं रखी है। यदि उसके साथ अथवा आस–पास ऐसी कोई सामग्री है तो वह वीक्षक को सूचित करें अन्यथा इस सम्बन्ध में परीक्षार्थी स्वयं जवाबदेह होगा।
4. परीक्षार्थी परीक्षा देते समय किसी प्रकार की कोई सामग्री किसी व्यक्ति/अन्य परीक्षार्थी से न लेगा और न देगा, दूसरों के पत्रो की नकल न करेगा और न अपने पत्रों की नकल करने देगा, न कोई पत्र लेगा और न लेने का प्रयास करेगा। किसी प्रकार की अव्यवस्था, अनाचरण अथवा नकल करने या इनकी कोशिश करने वाले परीक्षार्थी को संगत नियमों–अधिनियमों आदि के अनुसार दण्डित किया जायेगा।
5. परीक्षार्थी को आयोग/केन्द्राधीक्षक/वीक्षक/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग/ केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे, कार्रवाई की जा सकती है।
6. केन्द्राधीक्षक/वीक्षक या आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति संदेह होने की स्थिति में परीक्षार्थी की तलाशी ले सकते है, जिसमें परीक्षार्थी को पूर्ण सहयोग देना होगा तथा उनके द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देना होगा।
7. परीक्षा समय प्रारंभ होने की सूचना एक घंटी बजा कर दी जायेगी । तत्पश्चात् वीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र वितरित किये जायेंगे। परीक्षार्थी प्राप्त प्रश्न पत्र का अवलोकन कर सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न पत्र के पृष्ठ पूर्ण हैं तथा किसी प्रकार की कोई मुद्रण त्रुटि नहीं है एवं सम्बन्धित विषय का ही प्रश्न–पुस्तिका प्राप्त है। सर्वप्रथम परीक्षार्थी प्रश्न पत्र एवं OMR(Optical Mark Recognition) उत्तर–पत्रक के पार पृष्ठ पर दिये गये निर्देशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर पालन करें।
8. परीक्षा समय समाप्त होने के 5 मिनट पहले चेतावनी की घंटी बजेगी और दूसरी घंटी बजने पर (परीक्षा समय समाप्त होने पर) परीक्षार्थी को किसी प्रकार का लेख व सुधार नहीं करने दिया जाएगा।
9. परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व परीक्षार्थी उत्तर पत्रक वीक्षक को सौंप दें, तत्पश्चात् वीक्षक से अनुमति लेकर ही परीक्षा कक्ष छोड़े।
10. परीक्षा कक्ष में प्रवेश उपरांत समय शुरू होने से आधा घंटे तक परीक्षार्थी को शौच आदि हेतु परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, तत्पश्चात् पूर्ण परीक्षा समय तक परीक्षार्थी एक बार वीक्षक की अनुमति से लघुशंका हेतु जा सकेगा।
11. आयोग द्वारा परीक्षा सामान्यतया कार्यक्रमानुसार ही आयोजित की जायेगी, विशेष परिस्थितियों में आयोग परीक्षा कार्यक्रम में किसी भी स्तर पर परिवर्त्तन कर सकता है।
12. परीक्षा में बैठने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
13. परीक्षा कक्ष में धूम्रपान, चाय व पान आदि का प्रयोग वर्जित है।

❖

परीक्षार्थियों हेतु अनुदेश

ध्यान दें :–

- परीक्षा भवन में प्रवेश के लिये परीक्षार्थी प्रवेश पत्र, संबंधित परीक्षा तिथि का पालीवार उपस्थिति पत्रक एवं स्वहस्ताक्षरित दो स्टॉम्प साइज फोटो अपने साथ अवश्य लाएँ जिनके अभाव में उसे परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र पर समस्त सूचनाएं उसके द्वारा आवेदन पत्र में भरी सूचनाओं के आधार पर जारी किया गया है। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही अंकित समस्त सूचना यथा, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर लें। संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- प्रवेश पत्र अथवा उपस्थित पत्रक पर अंकित सूचना एवं आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भरी सूचना में भिन्नता पाए जाने पर अभ्यर्थी आयोग की सूचना हेतु लिखित प्रार्थना पत्र, प्रवेश पत्र एवं आवेदन पत्र की छाया प्रति के साथ परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग को व्यक्तिगत/रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक–02.12.2013 से 05.12.2013 तक कार्यालय–अवधि में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।
- किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को आवंटित परीक्षा केन्द्र के अतिरिक्त अन्य परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा कार्यक्रम का ध्यान–पूर्वक अध्ययन कर लें एवं यह ध्यान रखें कि उसे किस परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देनी है।
- नेत्रहीन अभ्यर्थी श्रुतलेखक हेतु परीक्षा तिथि से 03 दिन पूर्व वांछित चिकित्सा प्रमाण–पत्र सहित अपने केन्द्र पर उपस्थित होकर केन्द्राधीक्षक को प्रार्थना पत्र समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर केन्द्राधीक्षक द्वारा इस निमित्त यथा–निर्देशित व्यवस्था की जानी है।
- परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाईल फोन या अन्य कोई इलेक्ट्रोनिक उपकरण रखने की अनुमति नहीं है। अतः परीक्षार्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केन्द्र पर कागज/पर्ची, मोबाईल फोन/ इलेक्ट्रोनिक उपकरण सहित प्रतिबन्धित वस्तुएँ यथा, बैग, पाठ्य पुस्तिकाएं, खाद्य सामग्री, पानी का बोतल एवं हथियार इत्यादि साथ नहीं लायें। इन अनुदशों का उल्लंघन किये जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित दंडात्मक/अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
- प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रृटि के सम्बन्ध में यदि आयोग द्वारा केन्द्राधीक्षक/वीक्षक के माध्यम से कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी जाती है तो परीक्षार्थी प्रश्न पत्र में उल्लेखानुसार ही प्रश्नों को हल करें।
- **परीक्षार्थी परीक्षा के समय प्रश्न पत्र में रही किसी त्रुटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में परीक्षा समाप्ति के तीन दिवस के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन/शिकायत स्पीड पोस्ट के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग,राँची को प्रस्तुत कर दें। इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर आयोग द्वारा किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।**